विदेश नीति में नाकामियों की बात झुठला नहीं सकते विदेश मंत्री : आनंद शर्मा

नई दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि वह विदेश नीति में 'नाकामियों' की बात को झुठला नहीं सकते और उन्हें इसका जवाब देना चाहिये।

जयशंकर ने एक दिन पहले भारत की विदेश नीति का बचाव किया था, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि सामरिक साझेदारों के साथ संबंधों में गंभीरता की जरूरत होती है और इन्हें महत्वहीन तथा दिखावा बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने बालाकोट और उरी जवाबी हमलों का जिक्र करने पर भी विदेश मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें देश के सशस्त्र बलों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और न ही उन पर एकाधिकार जताना चाहिए? शर्मा ने कहा, दिशाहीन विदेश नीति का विदेश मंत्री द्वारा बचाव किए जाने पर हंसी आ रही है। वाकपटुता और ट्वीट से जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती। पहले पड़ोसी भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता रही है, लेकिन अफसोस कि अभिमानपूर्ण रवैये ने इसे महत्वहीन कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शर्मा ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच विश्वास, मित्रता और परस्पर सम्मान पर आधारित ऐतिहासिक संबंध रहे हैं।

उन्होंने कहा, मौजूदा मतभेद और तनाव राष्ट्रीय चिंता का विषय है। शर्मा ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, विदेश मंत्री नाकामियों की बात को झुठला नहीं सकते और उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, विदेश नीति में गंभीरता और गहराई होनी चाहिये। सामरिक साझेदारों के साथ संबंधों में गंभीरता की जरूरत होती है और इन्हें महत्वहीन और दिखावा बनाकर नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने विचारों से भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन इतिहास में आपको परिणामों से आंका जाएगा। इससे पहले, जयशंकर ने सरकार की विदेशी नीति की आलोचना के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा था कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान अमेरिका, यूरोप सहित प्रमुख ताकतों के साथ हमारा महत्वपूर्ण गठजोड़ मजबूत हुआ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ हम राजनीतिक रूप से अधिक बराबरी के स्तर पर बात करते हैं ।

मानव संसाधन मंत्रालय ने 2019-20 में जामिया के प्रदर्शन को 'शानदार' पाया : विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा)।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने कहा कि अकादमिक वर्ष 2019-20 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आकलन में जामिया के प्रदर्शन को 'शानदार' पाया गया। मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि जामिया ने समग्र आकलन में 95.23 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं।

भाजपा संस्थागत तौर पर फैला रही है झूठ : राहुल

नई दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा)।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा पर हमला करते हुए उस पर कोविड-19 से होने वाली मौतों, जीडीपी के आंकड़ों और सीमा पर चीनी आक्रमण को लेकर 'संस्थागत तौर पर झूठ फैलाने' का आरोप लगाया।

कोविड-19 के कारण होने वाली मौत के मामलों में वृद्धि होने पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि यह 'भ्रम' टूटने पर भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी। वहीं, राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि गांधियों ने दशकों तक जो भ्रम फैलाया, भारत को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।

उन्होंने कांग्रेस नेता पर देश के लिए बीमार रहने की कामना करने का भी आरोप लगाया। गांधी ने एक ट्वीट में कहा, भाजपा झूठ को संस्थागत तौर पर फैला रही है। पहला, कोविड-19 टेस्ट पर बाधाएं लगाईं और मृतकों की संख्या गलत बताई। दूसरा, जीडीपी के लिए एक नई गणना पद्धति लागू की। तीसरा, चीनी आक्रमण पर पर्दा डालने के लिए मीडिया को डराया। ये भ्रम जल्द ही टूट जाएगा और देश को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ कोरोना वायरस की स्थिति से जुड़ी एक खबर को भी साझा किया।

गांधी के आरोप की प्रतिक्रिया में शेखावत ने एक ट्वीट में कहा, गांधियों ने दशकों तक जो भ्रम फैलाया, भारत को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देश के लिए बीमारी की आपकी कामना तिरस्कार योग्य है।

देश में कोरोना महामारी के प्रबंधन की संसदीय समीक्षा शुरू हुई : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा)।

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि संसदीय समितियों ने संसद सत्र की अंतिम बैठक के साढ़े तीन महीनों में ही कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की समीक्षा शुरू कर दी है और देश के मौजूदा हालात देखते हुए इससे कम समय में संसदीय समीक्षा करना संभव भी नहीं था।

महामारी के समय मीडिया की भूमिका की प्रशंसा करते हुए अपने फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा, 'मैंने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसदीय समितियों की बैठकों और संसद के मानसून सत्र को लेकर अब तक कई बैठकें की हैं। संक्रमण से बचने के लिए जरूरी भौतिक दूरी के मानदंड को देखते हुए, सांसदों के बैठने की व्यवस्था के लिए विस्तृत विचार-विमर्श और योजना की आवश्यकता है।' उन्होंने कहा, 'सरकार ने भी मानसून सत्र सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में दोनों पीठासीन अधिकारियों से बात की है। हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं।' नायडू ने कहा कि मई में घरेलू हवाई यात्रा पर प्रतिबंधों में ढील देने और रेल यात्रा से भी कुछ हद तक रोक हटने के साथ, इस महीने से संसद के दोनों सदनों की विभाग संबंधी स्थायी समितियों ने अपनी बैठकें फिर से शुरू कर दी हैं। उन्होंने महामारी के प्रबंधन और इसके विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की है।

राज्यसभा के सभापति ने कहा कि महामारी के प्रबंधन की संसदीय समीक्षा के विषय को उठाया जा सकता है जिसकी चर्चा मीडिया में कहीं-कहीं की भी जा रही है। उन्होंने कहा कि संसद के पिछले बजट सत्र को तय समय से कुछ दिन पहले ही रोकना पड़ा क्योंकि सांसद इस संकट की घड़ी में अपने लोगों के साथ रहना चाहते थे।

आइएएस के खिलाफ महिला की आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश

नई दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेरिका स्थित गूगल एलएलसी, फेसबुक और ट्विटर को एक महिला द्वारा निलंबित आइएएस अधिकारी के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक पोस्ट और ट्वीट अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने महिला को अगले आदेश तक निलंबित अधिकारी से संबंधित किसी भी खबर को यूट्यूब/फेसबुक/इंस्टाग्राम या किसी वेबसाइट/समाचार पत्र/टीवी चैनल पर प्रकाशित या प्रसारित नहीं कराने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में उस महिला, गूगल, फेसबुक और ट्विटर को समन जारी कर मामले पर सुनवाई 31 अगस्त तक स्थगित कर दी। निलंबित आइएएस अधिकारी ने अपनी शिकायत में महिला पर मानहानि का आरोप लगाते हुए हर्जाने की मांग की है। अधिकारी के अनुसार वह 2017 में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ मेक्सिको में थे। इस दौरान विवाहित महिला ने उन्हें फेसबुक पर कई बार मित्रता अनुरोध भेजा, जिसे अंततः उन्होंने स्वीकार कर लिया। अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने महिला को बताया कि वे शादीशुदा हैं। हालांकि महिला की जिद पर वह अस्पताल में उससे मिलने गए, जहां वह ठहरी हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला ने फरवरी 2018 से उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। अधिकारी की शिकायत में दावा किया गया है उन्होंने कर्ज में फंसे दोस्त की मदद की नीयत से उसे पैसे दिए। हालांकि, महिला मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक हमला करने लगी और आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। शिकायत में कहा गया है कि महिला ने 20 करोड़ रुपए और दिल्ली में अपने लिए घर खरीदने की मांग की।

फ्लॉर टेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड

CIN No. U29224DL1998PTC092803

पंजी. कार्यालयः ए-34, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

सूचना

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

तथा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

फ्लॉर टेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय है: ए-34, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 के मामले में

आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 16.07.2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पतेः बी-2, विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

ए-34, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

आवेदक के लिए तथा उसकी ओर से
फ्लॉर टेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
संजय गुप्ता
निदेशक
DIN No. 00222119

तिथि: 18 जुलाई, 2020
स्थान: दिल्ली

अमृत कॉर्प लि.

CIN: L15141UP1940PLC000946

पंजी. कार्यालयः सीएम/28, प्रथम तल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर जी.टी. रोड, गाजियाबाद-201009 (उ.प्र.)

कॉर्पो. कार्यालयः अमृत कार्पोरेट सेन्टर, ए-95, सेक्टर-65, नोएडा-201309 (उ.प्र.)

फोनः 0120-4506900, फैक्सः 0120-4506910

ई-मेलः info@amritcorp.com, वेबसाईटः www.amritcorp.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 "सूचीयन विनियमन" के विनियमन 29, 33, 47 तथा लागू होने वाले किसी अन्य विनियमन के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल तथा ऑडिट कमिटी की बैठक बुधवार, 5 अगस्त, 2020 को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार, परीक्षण तथा अनुमोदन किया जायेगा।

उक्त सूचीयन विनियमन के विनियमन 47 (2) के अनुसार यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.amritcorp.com के साथ ही बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

अमृत कार्प लि. के लिये
हस्ता./-
(पी.के. दास)
कम्पनी सचिव

तिथि: 17.7.2020
स्थान: गाजियाबाद

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED

(रेल मंत्रालय के अधीनस्थ एक नवरत्न कंपनी)

(A NAVRATNA UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता-700017, दूरभाष-033 22837101-05

कॉनकॉर निम्नलिखित कार्य के लिए टैंडरिंग की एकल पैकेट सिस्टम में ई-निविदा आमंत्रित करता है:-

निविदा सं.	सीओएन/ईआर/सिविल/एएमसी-I/आर-I/2020
कार्य का नाम	माझेरहाट (सीटीकेआर), शालीमार, दुर्गापुर, सिंगूर (पीसीसी), ठाकुरपुकुर में कर्मचारी क्वार्टर तथा पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय-कोलकाता में टर्मिनलों के लिए आंवतिक वार्षिक सिविल रखरखाव तथा अल्प कार्यों हेतु अनुबंध।
अनुमानित लागत	रु. 48.71 लाख
पूर्णता अवधि	12 माह
धरोहर जमा राशि	रु. 2,00,000/- (ई-भुगतान के माध्यम से)
निविदा दस्तावेज की कीमत (अ-प्रतिदेय)	रु. 1000/- (सभी कर एवं प्रभारों सहित ई-भुगतान के माध्यम से)
निविदा प्रक्रिया शुल्क (अ-प्रतिदेय)	रु. 2,874/- (सभी कर एवं प्रभारों सहित ई-भुगतान के माध्यम से)
निविदा बिक्री तिथि (ऑनलाइन)	दिनांक 20.07.2020 (11.00 बजे) से 09.08.2020 (17.00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	दिनांक 10.08.2020 को 17.00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि एवं समय	दिनांक 12.08.2020 को 11.30 बजे

वित्तीय योग्यता मानदंड, समान प्रकार के कार्य के संबंध में अनुभव आदि के लिए कृपया वेबसाइट www.concoreindia.com पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना का अवलोकर करें, लेकिन पूर्ण निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से डाउनलोड किये जा सकते हैं। इसके अलावा, इस निविदा का शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, यदि कोई होगा, तो उसे केवल वेबसाइट www.concoreindia.com, www.tenderwizard.com/CCIL एवं सेन्ट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचारपत्र में प्रेस विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

मुख्य महाप्रबंधक (पूर्वी क्षेत्र)

केन फिन होम्स लि.

Can Fin Homes Ltd (Sponsor: CANARA BANK)

एससीओ-34 एवं 35, 1ला तल, केनरा बैंक के ऊपर, सेक्टर-10ए, गुड़गाँव

फोनः 0124-2370035, 2370760, CIN No. L85110KA1987PLC008699

[नियम 8 (6) का प्रावधान]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका केनफिन होम्स लि., **गुड़गाँव शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की **प्रिया सिंह एवं संजय कुमार (ऋणधारकों) तथा सौरभ शर्मा, पुत्र ईश्वर दीन मिश्रा (गारन्टरों)** से उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ 8.5.2019 को केन फिन होम्स लि. के बकाये रु. 30,80,440/- (रुपये तीस लाख अस्सी हजार चार सौ चालिस मात्र) की वसूली के लिये **25.8.2020** को **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है"** आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 35,50,000/- (रुपये पैंतीस लाख पचास हजार मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 3,55,000/- (रुपये तीन लाख पचपन हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति का अनुसूची

(मकान सं. 216/417, खसरा नं. 39, ब्लॉक-डी, ताऊ गोपी वाली गली, राजेन्द्र पार्क, गुरुग्राम, पिन-122001)

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें केन फिन होम्स लि. की आधिकारिक वेबसाईट (www.canfinhomes.com) पर दी गई है। कृपया अधोलिखित लिंक https://www.canfinhomes.com/ searchAuction.aspx देखें।

तिथि: 18.07.2020
स्थान: गुड़गाँव

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
केन फिन होम्स लि.

सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (अ) के मामले में

तथा

श्रेयांश मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 244, दूसरी मंजिल, सुन्दरम टॉवर, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 पर है।

.....आवेदक

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानान्तरित करने के लिए बुधवार, 1 जुलाई, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा :

श्रेयांश मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड
CIN U51909DL1991PTC319425
कार्यालय स्थान सं. 244, दूसरी मंजिल, सुन्दरम टॉवर,
डीडीए कम्युनिटी सेंटर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
ई-मेल : shreyanshmercantile@gmail.com

आवेदक श्रेयांश मर्केन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
के लिए तथा उनकी ओर से
ह./-
सुरेश शर्मा
निदेशक
(डीआईएन - 06766480)
सूर्या रोशनी लिमिटेड
प्रकाश नगर, झज्झर, बहादुरगढ़,
हरियाणा-124507

दिनांक : 20.07.2020
स्थान : नई दिल्ली

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Varsha Johar D/o, Kamal Kumar Gupta, (R/o 171 1st Floor, Ram Nagar Extn, Krishna Nagar, Delhi 110051) declaring name Varsha Johar & Varsha Gupta Belong to Same Person and have Changed My Name To Varsha Gupta For All documentation Purpose. 0040542124-1

खोया+पाया

I,MAHBOOB Alam,S/o Sohrab khan,R/o-plot.no-B-39/2,1st-floor,st.no-2,mandawali fazalpur,Delhi-92,have lost my original/Duplicate certificate/marksheet class-10th(2000) Rollno-6312762 class-12th(2002) Rollno-6602738 CBSE-Delhi. 40542282

LOST MY ORIGINAL-SALEDEED 2PAGE DATED-28-02-2000 PAGE.No.5,6 FOUNDER MAY INFORM RAJ KISHOR VERMA,S/o VIJAY PAL SINGH,H.No.751-D, GALI.No.13,BHOLANATH-NAGAR,SHAHDARA,DELHI-110032. 40542282

क्लासीफाइड

PUBLIC NOTICE

FREEHOLD DDA BUILT UP MIG FLAT NO. 46-C, SECOND FLOOR, MASJID MOTH, PHASE- I, NEW DELHI-110048

Public at large is hereby informed that my client(s) Shri U. Arjan Kumar & Smt. Sweethi M.G. had entered into an agreement to sell dated 30.01.2020 with the present Owner/ Seller i.e. Smt. Aruna Gupta.

Conveyance Deed Dated 04.01.2005 executed by DDA in favour of Shri Sham Sunder Gupta in respect of captioned property, duly registered vide Regd. No. 14623, dated 04.01.2005. Shri Sham Sunder Gupta expired on 20.01.2018 intestate (as informed by present seller and Class I Legal heirs of late Shri Sham Sunder Gupta) as per Surviving Member Certificate bearing No. 906600000060875, dated 07.07.2020) executed Relinquishment Deed in favour of Smt. Aruna Gupta i.e. present Seller duly registered vide Regd. No. 3473, dated 19.05.2018

It is hereby notified that any person or entity, firm / Company, Bank, Financial Institution having claim any charge, interest or lien or claim on the basis of documents mentioned above or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgement within 15 days from the day of publication, failing which the title deed / Sale Deed proposed to be executed in favour of Shri U. Arjan Kumar and Smt. Sweethi M.G. or in the name of their nomiee(s) shall be deemed to be clear and marketable without any defect, encumbrance, flaw and impediment.

Amit Chaudhary (Advocate)
Ch. No. 561,Saket Courts, New Delhi

Form No. INC-25A
Advertisement in the newspaper for conversion of Public company into a private company
Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Northern Region

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND

In the matter of M/s. SCJ Plastics Limited having its registered office at F-3/10-11, OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE-I NEW DELHI DL 110020. ...Applicant

Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.06.2020 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director "**The Regional Director,** B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003", within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:
F-3/10-11OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE-I NEW DELHI DL 110020,

For and on behalf of the Applicant
Sd/-
Satish Chand Jain
Director
DIN- 00289013

Date: 18.07.2020
Place: Delhi

पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने की सूचना

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खण्ड (अ) के मामले में

तथा

सिम्पलर कंसल्टिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ("कम्पनी" अथवा "याचिकाकर्ता कम्पनी") के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय **तृतीय तल, ब्लॉक सी, प्लॉट सं. 4, वसन्त कुंज, फेज II, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली**-110070 पर है।

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली"** से **"कर्नाटक राज्य"** में स्थानान्तरित करने के लिए 28 नवम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित संकल्प के सन्दर्भ में कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की माँग की गयी है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक आपत्ति प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में आपत्ति दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली**-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा:

शुभश्री श्रीधरन
सिम्पलर कंसल्टिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
तृतीय तल, ब्लॉक सी, प्लॉट सं. 4,
वसन्त कुंज, फेज II, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110070
सिम्पलर कंसल्टिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से
चार्ली मट्टाथिल कुरियन
निदेशक
डीआईएन : 06550861
दिनांक : 20.07.2020
स्थान : नई दिल्ली

NOTICE INVITING APPLICATION FOR ALLOTMENT OF SHOPS SANTUSHTI SHOPPING COMPLEX, NEW DELHI

1. **Air Officer Commanding, Air Force Station New Delhi**, invites sealed application from resident Indian nationals for allotment of shops at Santushti Shopping Complex, New Willingdon Camp, Lok Kalyan Marg New Delhi-110003.

Shop No	Size	Shop No	Size	Shop No	Size
10	1132 sqft	14	425 sqft	19	753 sqft
23 & 24	(378 sqft+ 395 sqft= 773 sqft)				

2. In this connection it may be noted that the previous advertisement on the subject matter dated 15 Mar 2020, could not be completed owing to nationwide lock-down due to outbreak of COVID-19 pandemic.

3. The period of allotment will be three years wef 01 Sep 2020. The shops will be allotted as per provision of **Defence Shopping Complex (Maintenance & Administration) Rules, 2006.**

4. The rates for allotment of the shop are fixed and will be charged as License Fee 160/- per sqft, Maintenance charges 60/- per sqft and GST @18%. In addition water & electricity charges will be charged as per consumption. **The maintenance charge will be increased by 5% every year.**

5. The application form can be collected from Santushti Shopping Complex Office, on all working days starting from **20 Jul 20 from 1000 hrs to 1630 hrs @ Rs 500/-** each (non-refundable). Earnest Money Deposit (EMD) equivalent to one month License fee i.e. (Area of shop X Rs 160/-psf) in the form of Demand draft/Bankers Cheque issued by any nationalized bank or ICICI, HDFC and AXIS Bank is to be drawn in favour of **"Santushti 412 Air Force Station New Delhi".** Application form duly completed in all respect along with EMD, is to be submitted to SSC office **on or before 1500 hrs by 07 Aug 2020.** Applications form without **EMD will be summarily rejected.**

6. Any clarification regarding allotment of Shops or any other issues for prospective allotees will be addressed at the office of Santushti Shopping Complex between 1100 hours to 1600 Hrs on all working days (Monday to Saturday) till 05 Aug 20. **The allotment of Shops by draw of lot, if applicable, will be held at 1500 Hrs on 17 Aug 2020 at Santushti Shopping Complex.**

7. For further details please contact Tele No. 011-24679220, Mobile No. 8130973799, or email on santushtishoppingcomplex123@gmail.com

8. **Air Officer Commanding, Air Force Station, New Delhi, reserves the right to withdraw any shop and / or accept or reject any tender or application without assigning any reason.**

जे. के. कॉटन लिमिटेड

सी. आई एन : U17111UP1924PLC000275

पंजीकृत कार्यालयः कमला टावर, कानपुर – 208 001, उ.प्र. (इंडिया)

फोन :+91 512 2371478 - 81, फैक्स:+91 512 2332665

ईमेल : harshit@jkcotton.com वेबसाइट: www.jkcotton.com

97वीं वार्षिक आमसभा की नोटिस व ई-वोटिंग की जानकारी

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित उसके अंतर्गत बने नियमों व कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र ('परिपत्रों') के अनुपालन में कंपनी की **97वीं वार्षिक आमसभा ('AGM') एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('VC')/अन्य ऑडीओ विजुअल मीन्स ('OAVM') के माध्यम से दिनांक 11 अगस्त, 2020 दिन मंगलवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे** आयोजित की जायेगी जिसमें AGM के नोटिस में बताये जाने वाले कारोबार को पारित किया जायेगा।

उपरोक्त MCA के परिपत्रों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें नोटिस डायरेक्टर रिपोर्ट परिशिष्टियो सहित, वार्षिक वित्तीय विवरण व स्वतंत्र ऑडिटर्स रिपोर्ट शामिल है के साथ 97वीं AGM के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी कंपनी के उन सदस्यों कोई-मेल द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजी गयी है, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('DP') या कंपनी / Jaykay Enterprises Ltd. - (RTA) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jkcotton.com और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है । कंपनी अपने उन सदस्यों को जोकि दिनांक 4 अगस्त, 2020 दिन मंगलवार (कटऑफडेट) को फिजिकल या डीमैट फार्म में शेयर धारक है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग सुविधा, VC/OAVM के माध्यम से AGM में उपस्थित होने और भाग लेने की सुविधा और AGM के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करेगी। कोई भी व्यक्ति जो कट ऑफ डेट पर सदस्य नहीं है उसे तदनुसार AGM की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्यों के लिये मानना चाहिए। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट ऑफ डेट को कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी शेयरपूँजी में उनके शेयर के अनुपात